

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 519 / 2012/ 03(120)/ XXVII(8)/ 07 dated 30 May, 2012 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 519/2012/03(120)/XXVII(8)/07
Bhradun :: Dated: : 30 May, 2012

Notification


WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act no. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in Schedule-III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005:-

Amendment

In schedule-III, after the existing entry at serial no. 11, the following entry shall be added; namely-

12.	Non Levy Sugar	M or I	2%
-----	----------------	--------	----


(Radha Raturi)
Secretary.

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
सं० /2012/03(120)/XXVII(8)/07
देहरादून: दिनांक: 30 मई, 2012

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में भेला करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), सपतित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-III में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

अनुसूची-III के क्रमांक 11 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जायेगी; अर्थात:-

12.	नोंन लेवी चीनी	आ० या नि०	2 प्रतिशत
-----	----------------	-----------	-----------

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

सं० 519/2012/03(120)/XXVII(8)/07 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2- निदेशक, पुष्पण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की जिला इतिहास एवं अधिसूचना का हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 100 100 प्रतियाँ तिन भागों में 100 प्रतियाँ भाग 1, 100 प्रतियाँ भाग 2, 100 प्रतियाँ भाग 3 में प्रकाशित कराएँ।


3-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4-सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5-एन०आई०सी०

6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,



(प्रदीप सिंह रावत)
उपसचिव।